

श्री इन्द्र
तामील
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
धारा 141(1) प. 5 पं. 1

193/970 फा/2020

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

बहुस डेड अक्सर चढा गया। अक्सर
दिनांक 20/06/2024 को पेश डी।

20/6/24 पत्रावली पेश। वास्ते बहुस पुनः अक्सर
चाडु जाने से पत्रावली दिनांक - 4/07/2024
को पेश डी।

4/7/24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण की बहुस
सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक -
12/07/2024 को पेश डी।

12/7/24 पत्रावली पेश। वास्ते आदेश पत्रावली
दिनांक - 15/07/2024 को पेश डी।

15/7/24 पत्रावली पेश। हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहुस के
दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का
अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि
खाता संख्या 36 के खसरा संख्या 519, 537, 538,
539, 569, 570, 571, 572, 596 वाके ग्राम पंच की
बावडी पटवार मण्डल पंच की बावडी जो कि
प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। जिस
पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होना
प्रमाणित आया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब
पेश कर उनकी उपस्थिति में पत्थरगडी करवाये जाने
का अंकन किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात्
प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसकी
पत्थरगडी किए जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई
विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण
भूमि खाता संख्या 36 के खसरा संख्या 519, 537,
538, 539, 569, 570, 571, 572, 596 वाके ग्राम पंच
की बावडी पटवार मण्डल पंच की बावडी की
पत्थरगडी करवाये जाने बाबत आंशिक स्वीकार योग्य
है।


—: आदेश :-

प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आलोक में आदेश
दिए जाते है कि विवादित भूमि खाता संख्या 36 के

उपखण्ड अधिकारी
P.T.O.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----------------------	--	---

खसरा संख्या 537, 538, 571, 572 की पश्चिमी मेड की सीमा से लगती हुई भूमि खसरा संख्या 535, 536, 574, 573 की सीमा पर वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी के पडोसी काश्तकारन को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। सम्बन्धित भूअभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी करने से कम से कम 3 दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडोसियान एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। उक्त आदेश की पालना के लिए पत्थरगढी फीस नियमानुसार प्रार्थी से राजकोष में जरिए चालान निर्धारित मद में जमा करवाई जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड / 2020
 प्रथम पत्र संख्या / 2020
 भाग 85 वर्ष 2020